

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

संख्या-6/एफ1-02/2026 श्र0सं0-3231

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

प्रेषक,

मनीष कुमार,
उप श्रमायुक्त।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/भोजपुर/शेखपुरा एवं बक्सर।

पटना, दिनांक- 5/6/26

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघुशीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26, उपशीर्ष -0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011030103) एवं मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम- लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0104-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230017890104) के अन्तर्गत **CFMS2.0 Software** से आवंटन निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजना अन्तर्गत CFMS2.0 Software से राशि आवंटित की गई है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

3. मांग संख्या-26-मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम- लघु शीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26 उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011030103) योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए रु 5,000/-की दर से जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा कराने हेतु :-

क्र० सं०	विषयशीर्ष 37.01-अनुग्रह अनुदान	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	विमुक्त बाल श्रमिकों की संख्या	आवंटित राशि (रु)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	37.01	समस्तीपुर	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर	01	5000	श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर का पत्रांक-951 दिनांक-06.05.2026, के आलोक में।
2	37.01	भोजपुर	जिला पदाधिकारी, भोजपुर	03	15000	श्रम अधीक्षक, भोजपुर का पत्रांक-380 दिनांक-07.05.2026, के आलोक में।
3	37.01	शेखपुरा	जिला पदाधिकारी, शेखपुरा	01	5000	श्रम अधीक्षक, शेखपुरा का पत्रांक-454 दिनांक-30.04.2026 के आलोक में।
4	37.01	बक्सर	जिला पदाधिकारी, बक्सर	01	5000	श्रम अधीक्षक, बक्सर का पत्रांक-499 दिनांक-13.05.2026 के आलोक में।

4. मांग संख्या-26-मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम- लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0104-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230017890104) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए रु 5,000/-की दर से जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा कराने हेतु : -

क्र० सं०	विषयशीर्ष 37.01-अनुग्रह अनुदान	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	विमुक्त बाल श्रमिकों की संख्या	आवंटित राशि (रु)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	37.01	समस्तीपुर	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर	01	5000	श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर का पत्रांक-951 दिनांक-06.05.2026, के आलोक में।
2	37.01	भोजपुर	जिला पदाधिकारी, भोजपुर	03	15000	श्रम अधीक्षक, भोजपुर का पत्रांक-380 दिनांक-07.05.2026, के आलोक में।
3	37.01	शेखपुरा	जिला पदाधिकारी, शेखपुरा	09	45000	श्रम अधीक्षक, शेखपुरा का पत्रांक-454 दिनांक-30.04.2026 के आलोक में।
4	37.01	बक्सर	जिला पदाधिकारी, बक्सर	01	5000	श्रम अधीक्षक, बक्सर का पत्रांक-499 दिनांक-13.05.2026 के आलोक में।

- अनुरोध है कि बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजना के तहत जाँच पड़ताल करके राशि का भुगतान/जमा किया जाय। भुगतान/जमा के पश्चात् संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
- अनुरोध है कि यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-256/वि० दिनांक-26.02.19, पत्रांक-732/वि० दिनांक-31.07.19 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98 के आलोक में है।
- अनुरोध है कि इस आवंटित राशि से, किसी भी परिस्थिति में, अधिक भुगतान/जमा नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक भुगतान/जमा किया जाता है तो वह अनियमित होगा।
- अनुरोध है कि आवंटित राशि से हुए भुगतान/जमा की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
- अनुरोध है कि आवंटित राशि को नियमानुसार जाँच कर उन्हीं विमुक्त बाल श्रमिकों को उपलब्ध कराया जाय, जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांवित नहीं किया गया हो।
- यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।
- श्रमायुक्त, बिहार, का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
Signed by Manish Kumar
Date: 05.06.2026 17:41:14
(मनिष कुमार)
उप श्रमायुक्त।